

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

टाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//रजिस्ट्रार//

—00—

रायपुर, दिनांक: 01/02/2012

क्रमांक एफ 10-5/2011/16- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात्

क्रमांक	कर्मकारों के नाम
1.	2.
40.	कन्सारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(के.डी. कुजाम)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

रायपुर, दिनांक: 01/02/2012

पुनः क्रमांक एफ 10-5/2011/16.

प्रतिनिधि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0).
- स्टाफ आफीसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0).
- श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर(छ0ग0).
- अध्यक्ष, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0).
- कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0).
- अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर(छ0ग0).
- सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0).
- सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ0ग0).
- उपसंचालक/सहायक संचालक/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,(छ0ग0).
- उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरगढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0)की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को संपलक्ष्य कराने का कष्ट करें।

— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग